

न्यायालय:- द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, गोहद, जिला भिण्ड
(समक्ष: पी0सी0आर्य)

दांडिक अपील क्रमांक: 195/2012
संस्थित दिनांक-14/5/2012

धर्मपाल सिंह पुत्र दुर्योधन सिंह तोमर,
55 साल, निवासी ग्राम भिण्डवा,
पुलिस थाना महुआ जिला मुरैना म0प्र0

-----अपीलार्थी/आरोपी

वि रु द्ध

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा-

आरक्षी केन्द्र मालनपुर, जिला-भिण्ड (म0प्र0)

-----प्रत्यर्थी/अभियोगी

राज्य द्वारा श्री संजय शर्मा अपर लोक अभियोजक
अपीलार्थी/आरोपी द्वारा श्री प्रवीण गुप्ता अधिवक्ता

न्यायालय-श्री केशव सिंह, जे.एम.एफ.सी., गोहद, द्वारा दांडिक प्रकरण
क्रमांक-37/2004 में निर्णय व दण्डाज्ञा दिनांक 04/5/2012 से
उत्पन्न दांडिक अपील ।

-::- निर्णय -::-

(आज दिनांक 24 जून, 2014 को खुले न्यायालय में घोषित)

1. अपीलार्थी/आरोपी धर्मपाल की ओर से उक्त दांडिक अपील धारा-374 द0प्र0सं0 1973 के अंतर्गत न्यायालय जे0एम0एफ0सी0 गोहद श्री केशव सिंह द्वारा दांडिक प्रकरण क्रमांक 37/2004 निर्णय दिनांक-04/5/2012 के निर्णय एवं दण्डाज्ञा से विक्षुप्त होकर प्रस्तुत की है, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आरोपी को धारा-279 भा0दं0सं0 में तीन माह का कारावास एवं 200 रुपये अर्थदण्ड एवं धारा-304 (ए) भा0दं0सं0 में एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं पांच सौ रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया था ।

2. प्रकरण में यह निर्विवादित स्वीकृत तथ्य है कि आरोपी/अपीलार्थी धर्मपाल सिंह पेशे से ड्रायवर है और भारी वाहन के चलाने का उसपर वैध लाइसेंस भी घटना दिनांक को था, जो उसने सुपुर्दगी पर प्राप्त किया है ।

3. अभियोजन के अनुसार घटना इस प्रकार बतायी गयी है कि दिनांक-18.12.2003 को सुनील खरे, प्रमोद एवं सतेन्द्र यादव की मोटर सायकिल से बैठकर मालनपुर तरफ से फैक्ट्री को जा रहा था, उक्त मोटर सायकिल प्रमोद चला रहा था, उसी समय नोवा फैक्ट्री की ओर से टेंकर

क्रमांक—एम.पी.—06 ई.2512 का चालक टेंकर को तेजी व लापरवाही से चलाकर लाया और मोटरसायकिल रजि.क्र.—एम.0पी.—06 एच.ए.—7865 में टक्कर मार दी, जिससे मोटर सायकिल पर बैठे तीनों व्यक्ति घायल होकर गिर पड़े और मोटर सायकिल टूट गयी । उसी समय एनीमेंस इण्डिया लिमिटेड मालनपुर का मालिक देवेन्द्र जैन अपनी कार से फैंक्ट्री जा रहा था, जैसे ही एटलस चौराहा पहुंचा उसने घायलों को देखकर अपनी कार रोकी, व सुनील व प्रमोद को देखा तो अधिक चोट होने के कारण उनकी मृत्यु हो गयी । सतेन्द्र घायल होकर मौके पर पड़ा था एवं टेंकर चालक मौके से कुछ दूर तक टेंकर ले जाकर उसे खड़ाकर भाग गया । देवेन्द्र ने सुनील व प्रमोद के शवों को अपनी कंपनी से टाटा वाहन से ग्वालियर रवाना किया व घायल को इलाज के लिए ले गये । उक्त आशय की रिपोर्ट देवेन्द्र जैन ने थाना मालनपुर पर जाकर की । जिसपर अपराध क्रमांक—221/2003 पर धारा—279, 337, 304—ए भा0दं0सं0 के प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी । मृतकों के शव परीक्षण कराये गये एवं विवेचना पूर्ण कर अभियोगपत्र विचारण हेतु सक्षम जे.एम.एफ.सी. न्यायालय में प्रस्तुत किया गया ।

4. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अभियोगपत्र एवं उसके साथ संलग्न प्रपत्रों के आधार पर आरोपी के विरुद्ध धारा—279, 338, 304—(ए) भा0दं0सं0 के तहत आरोप लगाये जाने पर आरोपी को पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोप से इंकार किया, उसका विचारण किया गया । विचारणोपरांत अपीलार्थी को धारा—338 भा0दं0सं0 में दोषमुक्त किया जाकर धारा—279 भा0दं0सं0 में तीन माह का कारावास एवं 200 रुपये अर्थदण्ड एवं धारा—304 (ए) भा0दं0सं0 में एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं पांच सौ रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, जिससे व्यथित होकर यह दांडिक अपील प्रस्तुत की गयी है ।

5. अपीलार्थी/आरोपी की ओर से प्रस्तुत किए गये अपीलार्थीय ज्ञापन में मूलतः यह आधार लिया है कि प्रकरण के साक्षी अ.सा.—1 देवेन्द्र कुमार जैन, अ.सा.—2 रामनिवास शर्मा, अ.सा.—8 सतीश जैन हैं, जिन्हें प्रथम सूचना के अनुसार मौके पर उपस्थित होना बताया है, किन्तु तीनों ही साक्षियों ने अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है और टेंकर चालक कौन था, नहीं देखा था । उक्त साक्षियों को पक्ष विरोधी घोषित किए जाने पर भी उन्होंने अभियोजन द्वारा दिये गये सुझावों का समर्थन नहीं किया है । जिसको नजर अंदाज कर विद्वान निम्न न्यायालय ने कानूनी भूल की है । उक्त प्रकरण में दो मृतकों के अलावा एक आहत सतेन्द्र सिंह यादव है, जो मौके का गवाह होकर अहम साक्षी हैं, किन्तु अभियोजन की ओर से उक्त साक्षी को पेश ही नहीं किया गया, जिसका लाभ आरोपी/अपीलार्थी को मिलना चाहिये था । अभियोजन साक्षी क्र.—3 महेश सिंह सिकरवार जो कि उक्त टेंकर का मालिक है, उसने यह बताया है कि घटना के समय टेंकर को धर्मपाल चला रहा था, जबकि उक्त साक्षी घटनास्थल पर घटना के समय था ही नहीं उक्त साक्षी केवल सुनी हुई बात बता रहा है, जिसपर भी विश्वास नहीं किया जा सकता है । अन्य किसी भी साक्षी ने अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है । उपरोक्त कारणों से भी अभियोजन कहानी शंकास्पद हो जाती है और महत्वपूर्ण व सुसंगत विरोधाभास पर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया और विधि, कानून के सुस्थापित सिद्धांतों को अनदेखा

करते हुए निर्णय पारित किया है, इसलिये अपील स्वीकार की जाकर आलोच्य निर्णय अपास्त की जावे और अपीलार्थी/आरोपी को दोषमुक्त किया जावे एवं उसका अर्थदण्ड वापिस दिलाया जावे ।

6. अपीलार्थी/आरोपी के विद्वान अधिवक्ता ने अपीलीय ज्ञापन में बताये बिन्दुओं और लिये गये आधारों के अनुरूप ही अपने मौखिक तर्क किए हैं, साथ ही विकल्प में यह निवेदन भी किया है कि मामला वर्ष 2004 का होकर करीब 10 वर्ष पुराना है, अपीलार्थी करीब 10 साल से अभियोजन का सामना कर रहा है, आरोपी युवक है, और किसानी करके अपना व परिवार का भरण पोषण करता है, अतः उसे अर्थदण्ड पर छोड़ने का निवेदन भी किया गया है । जिसका विद्वान ए0जी0पी0 द्वारा कड़ा विरोध किया गया है कि उसे विचाराधीन आरोप से उदारतापूर्वक नहीं छोड़ा जा सकता है और अपील सारहीन होने से निरस्त की जावे और अपीलार्थी/आरोपी को उचित दण्डाज्ञा से दण्डित किया जावे ।

7. अब प्रकरण में इस न्यायालय के समक्ष अपील के निराकरण हेतु मुख्य रूप से निम्न बिन्दु विचारणीय है :-

1- “क्या, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी/आरोपी के विरुद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित मानकर उसे इस अपराध में दोषसिद्ध कर दंडित करने में विधि या तथ्य की भूल की गई है ?”

2- क्या विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दी गई दण्डाज्ञा कठोर है ?

—:: निष्कर्ष के आधार ::—

8. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेख का अध्ययन किया गया । आलोच्य निर्णय का अवलोकन किया । उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर मनन किया गया । मूल अभिलेख के अध्ययन करने पर अभियोजन की ओर से जो साक्ष्य पेश की गयी है, उसके आधार पर यह निष्कर्ष निकलना होगा कि क्या विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलोच्य निर्णय में निकाले गये निष्कर्ष विधि एवं तथ्य पर आधारित है अथवा नहीं और साक्ष्य का उचित मूल्यांकन किया गया है, या नहीं तथा यह सुस्थापित विधि है कि प्रत्येक आपराधिक मामले में प्रमाण भार हमेशा अभियोजन पर रहता है । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा घटना में बताये गये आहत सतेन्द्र सिंह का परीक्षण नहीं कराया उसके आधार पर उसकी चोटों के संबंध में विचाराधीन धारा-338 भा0दं0सं0 के अपराध से आरोपी को दोषमुक्त किया गया है । अभियोजन की ओर से कोई प्रति-अपील नहीं की गयी है, इसलिये उसके संबंध में विचाराधीन दाण्डिक अपील में कोई निष्कर्ष निकालने की आवश्यकता नहीं है और मूलतः यह देखना है कि धारा-279, 304 (ए) भा0दं0सं0 में की गयी दोष सिद्धी और दी गयी दण्डाज्ञा विधि सम्बत् है अथवा नहीं ।

9. अभियोजन कथानक मुताबिक आरोपी/अपीलार्थी का टैंकर क्रमांक-एम.पी.-06 ई-2512 को उपेक्षापूर्वक व उतावलेपन से चलाते हुए मालनपुर में भिण्ड ग्वालियर रोड एटलस चौराहे पर विपरीत दिशा से आकर मोटर सायकिल क्रमांक-एम.पी.-06-एच.ए.-7865 में टक्कर मारना बताया गया

है, जिसमें प्रमोद और सुनील की मृत्यु हुई और सतेन्द्र को गंभीर चोटें आयी, जिसमें से सतेन्द्र का परीक्षण नहीं हुआ है तथा घटना के बताये गये मौके के चक्षुदर्शी साक्षी सतीश कुमार जैन अ.सा.-8 और रामनिवास शर्मा अ.सा.-6 के पक्ष विरोधी होकर समर्थन न करने के आधार पर तथा जप्ती पत्र के साक्षी पेश न होने से अभियोजन के प्रतिकूल उपधारणा निर्मित करने का बचाव पक्ष द्वारा तर्क किया गया है ।

10. प्रदर्श पी.-10 के जप्ती पत्रक के पंच साक्षी पेश नहीं है और अभियोजन द्वारा अभियोजन साक्षी क्र.-6 और 8 को पक्ष विरोधी घोषित किया गया है, किन्तु जो नामजद साक्षी परीक्षित हुए हैं, उनके आधार पर अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्य को अग्राह्य या अविश्वसनीय नहीं ठहराया जा सकता है तथा यह भी सुस्थापित विधि है कि किसी भी साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर देने मात्र के आधार पर संपूर्ण अभिसाक्ष्य अग्राह्य नहीं होती है क्योंकि यदि पक्ष विरोधी घोषित किए गये साक्षी के अभिसाक्ष्य में यदि कोई तथ्य आते हैं तो उन्हें ग्राह्य किया जा सकता है । इस आधार पर पूरी साक्ष्य वासआउट नहीं हो जाती है । अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्याय दृष्टांत स्टेट आफ एम.पी. विरुद्ध हबीब मुस्तफा 2006 भाग-1 एम.पी. वीकली नोट शॉर्ट नोट-67 पेश किया गया है, जो इंजेक्शन के कारण हुई मृत्यु पर आधारित मामला था, जो इस प्रकरण की परिस्थिति से भिन्न है, इसलिये प्रकरण में लागू हो सकता है । जबकि इस संबंध में न्याय दृष्टांत योमेश भाई पी. भट्ट विरुद्ध स्टेट ऑफ गुजरात ए.आई.आर. 2011 एस.सी. पेज-2328 एवं खुज्जी उर्फ सुरेन्द्र तिवारी विरुद्ध स्टेट ऑफ एम.पी.-ए.आई.आर.-1991 पेज-1853 अवलोकनीय है ।

11. रामनिवास अ.सा.-6 ने अपने अभिसाक्ष्य में दुर्घटनाकारी टैंकर के चालक को न देखना बताया है और उसे यह जानकारी नहीं है कि किस दिशा से आ रहा था, उसने घटना के समय एटलस तिराहे के पास धर्मकांटे के पास चाय की दुकान पर चाय पीना बताया है । वह दुर्घटना होना अवश्य स्वीकार करता है, जिसमें दूध के टैंकर और मोटर सायकिल में दुर्घटना होना और उसमें घायल देवेन्द्र, सुनील और प्रमोद थे । टैंकर सूर्या फैक्टरी की ओर ड्रायवर आगे भगा ले गया था, बाद में उसे मालूम चला था कि टैंकर वाले की गलती से दुर्घटना हुई । उसने प्रदर्श पी.-8 का पुलिस कथन देना स्वीकार किया, इससे वह दुर्घटना की पुष्टि तो करता है । दुर्घटनाकारी टैंकर के चालक को उसने अवश्य नहीं देखा और उक्त साक्षी पक्ष विरोधी घोषित होने के बावजूद दुर्घटना के संबंध में सकारात्मक साक्ष्य देने से उस सीमा तक उसकी साक्ष्य ग्राह्य योग्य होकर विश्वसनीय है । अभियोजन साक्षी क्र.-8 ने अवश्य कोई समर्थन नहीं किया और वह यह कहता है कि उसके सामने कोई दुर्घटना नहीं घटी, उससे अवश्य अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं है । किन्तु यह सुस्थापित विधि है कि किसी तथ्य को प्रमाणित करने के लिए साक्षियों की कोई विशिष्ट संख्या अपेक्षित नहीं है । जैसा कि भारतीय साक्ष्य विधान की धारा-134 में उपबंध है । इसलिये अभियोजन साक्षी क्र.-8 के समर्थन न करने से प्रतिकूल प्रभाव नहीं माना जा सकता है और उसके संबंध में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क विधि संम्बत होकर ग्राह्य योग्य नहीं है ।

12. अन्य परीक्षित साक्षियों में से डाक्टर एस.एस. जादौन अ.सा.-5 में आहत सतेन्द्र सिंह की चोटों का परीक्षण कर प्रदर्श पी.-7 की मेडीकल रिपोर्ट तैयार करना बताया है किन्तु इस संबंध में स्वयं आहत सतेन्द्र सिंह का परीक्षण न होने से चिकित्सीय साक्ष्य का मौखिक साक्ष्य से संबंध नहीं है और उसके संबंध में दोषमुक्ति हो चुकी है इसलिये उसपर विचार करने की आवश्यकता नहीं है ।

13. अभियोजन कथानक मुताबिक दुर्घटना में घटनास्थल पर ही सुनील खरे और प्रमोद नरवरिया की मृत्यु होना बतायी गयी है, जिनके शव परीक्षण डाक्टर योगेन्द्र सिंह कुशवाह अ.सा.-4 ने अपनी अभिसाक्ष्य में करना बताया है और दुर्घटना दिनांक-18/12/2003 को ही दोपहर पश्चात 4 बजे शव परीक्षण करना बताते हुए प्रमोद की शव परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी.-5 एवं सुनील की शव परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी.-6 तैयार करना बताया है और दोनों की मृत्यु सख्त व कठोर धरातल से टकराने के फलस्वरूप संभावित बतायी है। उसकी साक्ष्य अखण्डनीय है, जिससे दुर्घटना दिनांक को प्रमोद और सुनील की मृत्यु दुर्घटनात्मक स्वरूप की होना प्रमाणित होता है और अब प्रकरण में यह देखना होगा कि क्या बतायी गयी दुर्घटना आरोपी/अपीलार्थी के द्वारा ही कारित की गयी तथा दुर्घटना में आरोपी/अपीलार्थी के द्वारा उपेक्षापूर्वक या उतावलापन बरता गया, जो कि मौखिक परीक्षा साक्ष्य एवं परिस्थितियों के आधार पर निष्कर्षित होगा ।

14. घटना के मौके के साक्षी एवं रिपोर्टकर्ता देवेन्द्र जैन अभियोजन साक्षी क्र.-1 ने अपनी अभिसाक्ष्य में सुबह करीब 9:30 बजे की घटना बताते हुए कहा है कि वह अपनी कार से मालनपुर स्थित अपनी फैक्ट्री जिसका वह डायरेक्टर भी है जा रहा था, तब एटलस चौराहे पर उसकी फैक्ट्री के कर्मचारी प्रमोद, सुनील तथा उसके साथ एक और व्यक्ति था, जो मोटरसायकिल से आ रहे थे, मोटर सायकिल को प्रमोद नरवरिया चला रहा था, दो लोग पीछे बैठे थे और एटलस चौराहे की तरफ जा रहे थे, तभी नोवा फैक्ट्री की तरफ से एक टैंकर बड़ी तेजी से चलाते हुए लाया और मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी थी, जिससे मोटर साइकिल पर बैठे तीनों व्यक्ति बुरी तरह घायल हो गये थे । टैंकर वाला ड्राइवर टैंकर खड़ा करके भाग गया था, उसने पुलिस को सूचना दी थी । सुनील और प्रमोद की मौके पर मृत्यु हो गयी थी । टैंकर मोटर साइकिल का नंबर उसे ध्यान नहीं है, उसने प्रदर्श पी.-1 की थाने पर रिपोर्ट करना, पुलिस द्वारा उसके सामने प्रदर्श पी.-2 का नक्शा मौका तैयार करना बताया है । उक्त साक्षी के प्रतिपरीक्षण में मोटरसाइकिल का नंबर पैरा-2 में बताया गया है और यह कहा है कि चौराहे पर टैंकर रॉग (गलत) साइड से आया था और मोटरसाइकिल में टक्कर मारी थी, जिससे एक्सीडेंट हुआ था तथा सूर्या फैक्ट्री के पास रोड पर टैंकर खड़ा करके ड्राइवर भाग गया था । उसने यह नहीं देखा कि टैंकर को कौन ड्राइवर चला रहा था और वह सामने आने पर भी नहीं पहचान सकता है ।

15. अभियोजन साक्षी क्र.-1 के अभिसाक्ष्य के संबंध में अपीलार्थी अधिवक्ता का यह तर्क है कि रिपोर्टकर्ता ने टैंकर चालक को नहीं देखा और पुलिस द्वारा टैंकर चालक की कोई पहचान नहीं करायी गयी है, इसलिये दुर्घटना के लिए विद्वान निम्न न्यायालय अपीलार्थी/आरोपी को दोषी मानने में

विधिक और तथ्यात्मक त्रुटि की है, जिसका विद्वान ए.जी.पी. ने कड़ा विरोध किया है ।

16. अ.सा.-1 के अभिसाक्ष्य में जो तथ्य बताये गये हैं और जो समयावधि व स्थान बताया गया है, वह अभियोजन कथानक से मेल खाता है । प्रदर्श पी.-1 की एफ.आई.आर. के वृत्तान्त ही उसने पुष्टि की है । चूंकि टैंकर का चालक मौके पर नहीं रुका और उसने आगे जाकर टैंकर खड़ा किया और भाग गया, ऐसे में मौके के साक्षियों द्वारा चालक को पहचानना स्वाभाविक रूप से संभव नहीं था और देवेन्द्र जैन अ.सा.-1 के द्वारा टैंकर चालक को पहचानने में असमर्थता व्यक्त करना और चालक को न देख पाना स्वाभाविक है। ऐसे में उसकी अभिसाक्ष्य स्वीकार योग्य होकर विधि संम्बत है और उससे दुर्घटना टैंकर चालक की उपेक्षा या उतावलेपन से प्रमाणित होती है । क्योंकि अ.सा.-1 के द्वारा बताये गये तथ्य का कोई खण्डन नहीं है । टैंकर रॉंग साइड (गलत दिशा) से आया था और मोटरसाइकिल में टक्कर मारी थी, जैसा कि प्रदर्श पी.-2 के नक्शा मौका से भी प्रकट होता है, जिसमें भी इस बात का स्पष्ट विवरण व उल्लेख है और परिस्थिति भी ऐसा इंगित करती है कि टैंकर विपरीत दिशा से आया और मोटरसाइकिल में टक्कर मारी ।

17. घटनास्थल पर टैंकर का ना रुकना और आगे जाकर रुकना भी उसके चालक का उतावलापन स्थापित करता है क्योंकि प्रदर्श पी.-3 के जप्ती पत्रक मुताबिक टैंकर की जब्ती सूर्या फ़ैक्ट्री के पास रोड से हुई है, जैसा कि अ.सा.-1 कहता है । प्रदर्श पी.-2 का नक्शा मौका, प्रदर्श पी.-3 का जप्ती पत्रक, घटना के विवेचक रहे आर.एस. सिंह चौहान अ.सा.-10 ने अपनी अभिसाक्ष्य में प्रमाणित किया है और अ.सा.-1 की पुष्टि की है । प्रदर्श पी.-1 की एफ.आई.आर. को अ.सा.-1 एवं एफ.आई.आर. लेखक प्रधान आरक्षक बलवीर सिंह अ.सा.-9 के अभिसाक्ष्य से प्रमाणित किया गया है और एफ.आई.आर. लेखक की अभिसाक्ष्य में भी ऐसा कोई तथ्य या विसंगति नहीं आयी है जिससे एफ.आई.आर. को संदिग्ध माना जा सके । टैंकर का नंबर अ.सा.-1 के द्वारा भूल जाना स्वाभाविक है, क्योंकि घटना करीब चार साल बाद बयान हुआ था । उससे कोई विपरीत निष्कर्ष नहीं निकलता है । तथा मृतक प्रमोद के पिता तेजसिंह अ.सा.-7 जो कि मौके पर नहीं था, उसने दूध के टैंकर से अपने लडके का एक्सीडेंट होना और उसमें मृत्यु हो जाना बताया है और उसे कोई जानकारी नहीं है । वह औपचारिक स्वरूप का साक्षी है किन्तु अ.सा.-1, अ.सा.-9 और 10 के अभिसाक्ष्य से दुर्घटना की पुष्टि होती है तथा प्रदर्श पी.-1 के विवरण में बताये गये टैंकर से ही दुर्घटना घटित होना प्रमाणित है। क्योंकि दुर्घटनाकारी टैंकर के मालिक महेश सिंह सिकरवार अ.सा.-3 ने अपनी अभिसाक्ष्य में स्पष्ट रूप से दिनांक-18/12/2003 को अपने टैंकर क्रमांक-एम.पी.-06 ई-2512 का चालक धर्मपाल होना और उक्त दिनांक को चालक धर्मपाल के द्वारा नोवा फ़ैक्ट्री में दूध के लिए ले जाया जाना, एटलस चौराहे पर एक्सीडेंट होना और उसके संबंध में स्वयं धर्मपाल के द्वारा उसे जानकारी देना बताया है और अभिलेख पर ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है जिससे आरोपी/अपीलार्थी धर्मपाल और टैंकर मालिक महेश सिंह के मध्य कोई द्वेष भाव हो जिसके कारण वह किसी पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर अभिसाक्ष्य देता हो ?

18. ऐसे में अ.सा.-3 की अभिसाक्ष्य ग्राह्य योग्य होकर विश्वसनीय है । उसने प्रतिपरीक्षा में अवश्य दूसरे ड्राइवर रशीद खां भी होना बताया है और यह कहा है कि पहले उसका ड्राइवर रशीद खां था, दुर्घटनावाले दिन भी रशीद खां धर्मपाल के साथ गया था और यदि रशीद खां के द्वारा टैंकर को चलाया गया हो तो उसे जानकारी नहीं है, उसे धर्मपाल ने फोन करके बताया था कि गाडी का एक्सीडेंट हो गया है, लेकिन यह नहीं बताया था कि उसे उस समय कौन चला रहा था । ऐसे में थोड़ी देर को यदि यह भी मान लिया जाये कि टैंकर पर रशीद साथ में था, तब भी दुर्घटना के समय टैंकर को चलाने वाला आरोपी/अपीलार्थी धर्मपाल सिंह होना उसकी साक्ष्य से प्रमाणित होता है तथा इस संबंध में कोई सुदृढ साक्ष्य नहीं आयी है । इस संबंध में अपीलार्थी/आरोपी के विद्वान अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत न्याय दृष्टांत **जवाहरलाल विरुद्ध स्टेट ऑफ़ एम.पी.-1994 भाग-2 एम.पी. वीकली नोट शॉर्ट नोट-238** पेश किया है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा चालक की पहचान स्थापित न होने के आधार पर दोषमुक्ति की थी । इस मामले में चालक की पहचान अ.सा.-03 से हुई है । ऊपर दिये गये विश्लेषण से भी प्रस्तुत न्याय दृष्टांत अपीलार्थी/आरोपी को इस प्रकरण में कोई लाभ नहीं पहुंचाते हैं इसलिये इस आधार पर दोषमुक्ति नहीं हो सकती है ।

19. जहां तक बचाव साक्षी रक्षपाल सिंह वा.सा.-1 का प्रश्न है, जिसने दुर्घटना के एक दिन पहले धर्मपाल से मुलाकात होना और ग्राम इकदिल से उसे अपने साडू के यहां जाना था तो धर्मपाल ने उसे कहा था कि कल वह गाडी लेकर औरैया जायेगा और उसे साथ ले चलेगा । औरैया से दूध टैंकर में ले आता था और नोवा फैक्ट्री में डालता था, तो वह साथ गया था, सुबह 8:30 बजे नोवा फैक्ट्री में दूध खाली किया था, धर्मपाल सो गया था और रशीद खां ने टैंकर चलाया था और चौराहे पर मोटर साइकिल की टक्कर हुई थी और उसमें तीन लोगों को साइड में पड़े देखा था । फिर वहां से गाडी आगे बढ़ा दी थी और वे तीनों गाडी से उतरकर एस.टी.डी. पर गये थे, धर्मपाल ने अपने मालिक को फोन किया था । चूंकि धर्मपाल पर ड्रायविंग लाइसेंस था, रशीद खां पर नहीं था, इसलिये मालिक ने धर्मपाल का नाम लिखा दिया । लेकिन उक्त बचाव साक्षी के द्वारा दिये गये वृत्तान्त की अ.सा.-3 ने कोई पुष्टि नहीं की है । अतः बचाव साक्षी के द्वारा बताये गये तथ्यों के संबंध में अ.सा.-3 की प्रतिपरीक्षा में कोई सुझाव भी नहीं दिये गये हैं, इसलिये बचाव साक्षी के द्वारा लिये गये आधार बाद में सोच विचार कर बचाव के उद्देश्य से लिया जाना परिलक्षित होता है । ऐसे में वा.सा.-1 का अभिसाक्ष्य जो कि किसी प्रमाण के बिना है, वह स्वीकार योग्य नहीं है और वा.सा.-01 को विश्वसनीय साक्षी नहीं माना जा सकता है । क्योंकि उसका टैंकर पर साथ होना ही संदिग्ध है और टैंकर मालिक ने ऐसा नहीं कहा कि रशीद खां पर लाइसेंस नहीं था, धर्मपाल पर था, जो उसने लेकर गलत तरीके से धर्मपाल का नाम लिखा दिया था । क्योंकि धर्मपाल से उसकी कोई बुराई भलाई नहीं है और स्वयं महेश सिंह सिकरवार अ.सा.-3 के मुताबिक पहले उसके टैंकर पर रशीद ड्राइवर था । ऐसे में भी नहीं माना जा सकता है कि रशीद खां पर ड्रायविंग लाइसेंस नहीं रहा होगा । इस संबंध में रशीद खां को बचाव में पेश भी नहीं किया गया है तथा बचाव साक्षी भी विरोधाभासी हैं एक ओर तो बचाव पक्ष महेश सिंह के टैंकर पर आरोपी/अपीलार्थी का ड्राइवर होना बताता है

और दूसरी ओर बचाव साक्षी दुर्घटना के समय धर्मपाल का ग्वालियर में फैक्ट्री में नौकरी करना कहता है । इससे भी बचाव साक्षी विश्वसनीय नहीं है ।

20. धारा-313 द.प्र.सं. के तहत हुए आरोपी/अपीलार्थी के अभियुक्त परीक्षण में भी उसने ऐसा कोई आधार नहीं लिया था कि दुर्घटना के समय रशीद खां टैंकर का ड्रायवर था । बल्कि जिस तरह की साक्ष्य आयी है, उससे दुर्घटनाकारी टैंकर पर आरोपी/अपीलार्थी की चालक के रूप में ही विद्यमानता सुदृढ़ रूप से स्थापित होती है । ऐसे में अ.सा.-3 के अभिसाक्ष्य से दुर्घटनाकारी टैंकर का अपीलार्थी ही चालक होना माना जाता है । टैंकर सुपुर्दगी पर प्राप्त किया है और सुपुर्दगी के समय भी ऐसा कोई आधार लिया था कि टैंकर को घटना के समय रशीद खां चला रहा था, बल्कि स्वयं के ड्रायवरी के कार्य में आवश्यकता बताते हुए उसे सुपुर्दगी पर लिया था ।

21. अ.सा.-2 हरीदास खरे लाश पंचायतनामा प्रदर्श पी.-4 का साक्षी है, जो मृतक सुनील का बनाया गया था और तथ्यों का वह साक्षी नहीं है और दुर्घटना में सुनील और प्रमोद की मृत्यु होना प्रमाणित हुआ है । विवेचना को अ.सा.-10 ने प्रमाणित किया है । ऐसी स्थिति में अभिलेख पर आयी साक्ष्य से दुर्घटना आरोपी/अपीलार्थी धर्मपाल के द्वारा ही कारित की जाना प्रमाणित है और उसके द्वारा विपरीत दिशा से आकर दुर्घटना करने से उसकी उपेक्षा व उतावलापन भी प्रमाणित होता है । जिससे धारा-279, 304-ए भा0दं0सं0 के प्रमाण हेतु आवश्यक अवयवों की प्रति उपलब्ध अभिसाक्ष्य से हो जाती है । ऐसे में दोषसिद्धि के बिन्दु पर आरोपी/अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत दाण्डिक अपील स्वीकार योग्य ना होकर सारहीन पायी जाती है ।

22. फलतः दोषसिद्धि के बिन्दु पर अपील निरस्त की जाकर दोषसिद्ध की पुष्टि की जाती है । तदनुसार विचारणीय बिन्दु क्रमांक-01 का निराकरण किया जाता है ।

---विचारणीय बिन्दु क्रमांक-2 ---

23. जहां तक विचारणीय बिन्दु क्रमांक-2 का प्रश्न है, विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया दण्डाज्ञा कठोर है, इस संबंध में विचार किया गया । घटना-18/12/2003 की है और 2004 से अपीलार्थी/आरोपी द्वारा अभियोजन का सामना किया गया, जिसका निराकरण वर्ष 2012 में हुआ और 09 साल अभियोजन का सामना किया है तथा अपीलार्थी/आरोपी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उसे प्रथम अपराधी होने से केवल जुर्माना से दण्डित कर छोड़ने की प्रार्थना की गयी, जबकि विद्वान ए.जी.पी. का यह तर्क है कि वाहन दुर्घटना अत्यधिक बढ़ रही है और जिस स्थान की दुर्घटना है, उस मार्ग पर अधिक दुर्घटनाएं भारी वाहनों के द्वारा की जाती हैं तथा घटना में दो लोगों की अकाल मृत्यु हुई है, इसलिये विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दी गयी दण्डाज्ञा उचित व न्यायसंगत है । इसपर भी विचार किया गया । प्रकरण में जिस घटना के लिए आरोपी/अपीलार्थी को विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने धारा-279 भा0दं0सं0 के अपराध के लिए **तीन माह** के कारावास और **दो सौ रुपये** अर्थदण्ड तथा धारा-304-ए भा0दं0सं0 में **एक वर्ष** के सश्रम कारावास और **पांच सौ रुपये** के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।

24. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने धारा-71 भा0दं0सं0 के प्रावधान का प्रकरण में अनुसरण नहीं किया है, जबकि धारा-71 भा0दं0सं0 के उपबंध मुताबिक जहां कि कोई बात, जो अपराध है, ऐसे भागों से, जिनमें का कोई भाग स्वयं अपराध है, मिलकर बनी है, वहाँ अपराधी अपने ऐसे अपराधों में से एक से अधिक के दण्ड से दण्डित न किया जायेगा, जब तक कि ऐसा अभिव्यक्त रूप से उपबंधित न हो ।

जहां कि कोई बात अपराधों को परिभाषित या दण्डित करने वाली किसी तत्समय प्रवृत्त विधि की दो या अधिक पृथक् परिभाषाओं में आने वाला अपराध है, अथवा

जहां कि कई कार्य, जिनमें से स्वयं एक से या स्वयं एकाधिक से अपराध गठित होता है, मिलकर भिन्न अपराध गठित करते हैं ;

वहां अपराधी को उससे गुरुत्तर दण्ड से दण्डित न किया जायेगा, जो ऐसे अपराध में से किसी भी एक के लिए वह न्यायालय, जो उसका विचारण करे, उसे दे सकता हो ।

25. दुर्घटना के मामले में धारा-71 भा0दं0सं0 को लागू किये जाने का सिद्धांत न्याय दृष्टांत **कर्नाटक राज्य विरुद्ध सर्वनाप्पा वंशगोडा 202 भाग-2 ए.एन.जे. (एस.सी.) पेज-616** में प्रतिपादित किया गया है । ऐसे में धारा-279 भा0दं0सं0 जो कि धारा-304-ए भा0दं0सं0 का लघुत्तर अपराध है, उसमें दण्डित किए जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि गुरुत्तर अपराध में दण्डित किए जाने का उक्त प्रावधान है ऐसे में धारा-279 भा0दं0सं0 में दी गयी दण्डाज्ञा को अपास्त किया जाता है ।

25. आरोपी/अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने आरोपी को लंबे समय से अभियोजन का सामना करने और प्रथम अपराधी होने के कारण अपराधी परीवीक्षा अधिनियम का लाभ देकर छोड़े जाने की प्रार्थना की है । किन्तु उनकी यह प्रार्थना स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है, क्योंकि मामले में दो लोगों की दुर्घटना के कारण मृत्यु हुई है और विपरीत दिशा से आकर दुर्घटना कारित की गयी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत **दलवीर सिंह विरुद्ध स्टेट ऑफ हरियाणा 2002 किमिनल लॉ जनरल एस.सी. पेज-2283** में यह स्पष्ट मार्गदर्शन किया है कि धारा-304 (ए) भा0दं0सं0 के अपराध के प्रमाणित होने पर अपराधी को परीवीक्षा अधिनियम के तहत लाभ नहीं दिया जाना चाहिये । जो इस मामले में भी उचित परिस्थितियों में लागू होती है, इसलिये अपीलार्थी/आरोपी के विद्वान अधिवक्ता की दण्डाज्ञा के बिन्दु पर की गयी प्रार्थना सद्भावी नहीं मानी जा सकती है तथा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा-304 (ए) भा0दं0सं0 में दिये गये **एक वर्ष** के सश्रम कारावास और **पांच सौ रुपये** अर्थदण्ड यथावत् रखे जाने योग्य है । क्योंकि आरोपी/अपीलार्थी ने दुर्घटना के बाद भी कोई सद्भावना अपने आचरण में प्रकट नहीं की । बल्कि टैंकर को दूसरे स्थान सूर्या फैंक्ट्री के पास ले जाकर छोड़ा और भाग गया तथा उसने अपने कर्तव्य से विमुख होने के उद्देश्य से शरीद खां नामक व्यक्ति को भी आलिप्त करने का कुप्रयास किया । ऐसे में वह किसी भी सद्भावना या दया का पात्र नहीं है और उक्त परिस्थितियों में धारा-304 (ए) में दी गयी दण्डाज्ञा यथावत् रखी जाने योग्य है । अतः धारा-304 (ए) भा0दं0सं0 में दी गयी दण्डाज्ञा **एक**

वर्ष का सश्रम कारावास और पांच सौ रुपये अर्थदण्ड को यथावत् रखा जाता है और इस बिन्दु पर दाण्डिक अपील निरस्त की जाती है ।

26. आरोपी के अपील में प्रस्तुत जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं । उसे न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाये और दण्डाज्ञा भुगतने के लिए जेल भेजा जावे । जप्तशुदा टैंकर और आरोपी/अपीलार्थी के लायसेंस सुपुर्दगी पर होने से उनके संबंध में भी विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत् रखा जाता है ।

27. अपीलार्थी/आरोपी को निर्णय की निःशुल्क प्रति प्रदान की जावे ।

दिनांक: 24 जून 2014

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर मेरे बोलने पर टंकित किया गया ।
खुले न्यायालय में घोषित किया गया ।

सही /—

सही /—

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड